न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर(सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः– 9/2021
जी.सी.एम.एस पोर्टल नंबर :– 2021/13
दायरा दिनांक :– 14–07–2021

6/16

अपीलाण्टः–

1. डुंगरसिंह पुत्र श्री जगनाथसिंहजी, जाति राजपुरोहित निवासी मादा, तहसील देसुरी जिला पाली राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेंट्सः–

1. ज्ञानवन्ती पत्नी श्री मानसिंह भदौरिया जाति राजपूत निवासी हरिओम नगर, अटोगजी बांग, सादड़ी, तहसील देसुरी जिला पाली राजस्थान
2. नगर पालिका सादड़ी जरिये अधिशाषी अधिकारी।

उपस्थितिः–

1. श्री हिम्मतसिंह रापुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री पी.एम.जोशी, एस.पी. व्यास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1
3. श्री इन्दर सिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2

अपील अंतर्गत 90(ए) उपधारा 9 भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 2 राजस्थान विध्या (संशोधन) अधिनियम 2012 बाबत् नगर पालिका सादड़ी के पत्रावली संख्या 524/2012–13 के जरिये लीज रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त कराने व तमाम पत्रावली में की गई दूषित कार्यवाही को निरस्त बाबत्

–:निर्णयः– दिनांक 02-09-2021

अपीलाण्ट्स ने यह अपील रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा सादड़ी के गत खसरा नंबर 408/2 रकबा 416 बीघा 7 बिस्वा, किस्म चाही भूमि में से 1/40 हिस्सा रताराम पुत्र श्री नेमाजी, जाति माली, निवासी सादड़ी ने मानसिंह पुत्र श्री गजराजसिंह, भदौरिया व शैतानसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह भाटी व मंगल तथा रमन पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति जैन, तथा डुंगरसिंह पुत्र श्री जगनाथसिंह, जाति राजपुरोहित निवासी मादा ने बहिस्सा बराबर खरीद करके तारीख 02.01.1987 को कब्जा हासिल किया। जैसा कि पत्रावली एवं जमाबंदी में बेचाण दिनांक 02.01.1987 से साबित है अपीलाण्ट डुंगरसिंह ने उक्त भूमि को जैसाकि पहले राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी के तहत पट्टा हासिल करने की प्रक्रिया थी। नगर पालिका सादड़ी में आवेदन किया व तारीख 04.04.2000 को रूपयें 3527/– रूपये नगर पालिका कोष में रसीद संख्या 8622 के जरिये जमा करवाये, जिस पर पत्रावली संख्या 4/2000–2001 कायम की गई। उक्त पत्रावली में मामला लम्बित था, लेकिन इस कारण विचाराधीन रहा कि उक्त भूमि खसरा नंबर 408/2 की अन्य सह खातेदारी के बीच व अपीलाण्ट तथा अन्य खातेदार की सामलाती भूमि थी, इसलिये विधिवत् बंटवाड़ा नही हो पाया, इस कारण निस्तारण नही हो पाया था। इसलिये सहायक कलेक्टर देसुरी ने अपने निर्णय से सभी पत्रावलीयों में यह आदेश पारित किया कि विधिवत् सक्षम न्यायालय से बंटवाड़ा करके ही निस्तारण किया जा सकेगा।

ज्ञानवन्ती मानसिंह की पत्नी है व मानसिंह उसका पति है। उसने नगर पालिका से साठ गांठ करके पट्टा क्रमांक 1417 जारी करवाया था, जिसकी अपील जिला कलेक्टर महोदय के यहां मुझ अपीलाण्ट डुंगरसिंह के द्वारा की गई थी, जो राजस्व अपील संख्या 13/2014 निर्णय तारीख 28.01.2016 है जो जिला कलेक्टर ने निर्णित करते हुए यह आदेश किया था कि उपखण्ड अधिकारी देसूरी पक्षकारान के खातेदारी एवं स्वामित्व दस्तावेज की जांच करने एवं विवादित भूमि का

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

उनमें आपसी विभाजन करवाने के पश्चात् ही नये सिरे से भूखण्डो से सपरिवर्तन बाबत् कार्यवाही करे। यही ही नही यह भी साथ में आदेश दिया था कि संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय की अनदेखी कर परिवादी भूमि को 90बी में दर्ज कर जैर अपील आदेश पारित कर दिया है, जिसको यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है, इस तरह ज्ञानवंती का पट्टा संख्या 106 निरस्त किया था। यही नही संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर ने भी राजस्व अपील संख्या 91/2005 जो डुंगरसिंह ने अपील की थी, जिसमें भी ज्ञानवंती का पट्टा निरस्त किया व इसके साथ अपील संख्या 101/2006, अपील संख्या 100/2006 को भी एक साथ निर्णित किया और उसमें भी यह स्पष्ट निर्देश दिये कि पक्षकार की खातेदारी एवं स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों की जांच करने एवं विवादित भूमि का आपसी विभाजन करवाने के पश्चात् ही नये सिरे से भूखण्डो के सपरिवर्तन बाबत विधिनुरूप कार्य करे, इतना सबकुछ आदेश होते हुए भी अपीलीय न्यायालय के आदेश की नगर पालिका ने अवहेलना की है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ नगर पालिका ने यह कहते हुए कि सहायक कलेक्टर देसुरी के यहां भूमि बंटवाड़े का वाद संख्या 17/2011 व 100/2013 तारीख 18.08.2020 को खारिज हो गया है। साथ में यह कह दिया कि अन्य कोई मामला न्यायालय में लंबित नही है, इसलिये पट्टा देना उचित समझता है। जबकि प्रथमतः सूरजभानसिंह के विरूद्ध अपीलाण्ट डुंगरसिंह ने उसके दस्तावेज को निरस्त करवाने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का दावा कर रखा है जो दीवानी मूल वाद संख्या 28/2002 है, जो सिविल न्यायालय देसुरी में आज भी लम्बित है व साथ ही एस.डी.एम. देसुरी के यहां फौजदारी प्रकरण लंबित है जो फौजदारी प्रकरण संख्या 04/2000 सरकार बनाम डुंगरसिंह व अन्य है जो भी लंबित है, फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट खसरा नंबर 408/2 जो ग्राम सादड़ी में स्थित है उसमें अपीलाण्ट भी बतौर खरीद्दार है व मौके पर कब्जा है, विधिवत् बंटवाड़ा होना बाकी है, लेकिन मौखिक तौर पर अनुमानित नाप पर काबिज है। लेकिन अपीलाण्ट के पक्ष में विक्रय विलेख जारी नही करने का एक ही आधार लिया है कि मौके पर उनका कब्जा नही है और उक्त भूमि उम्मेदसिंह को विक्रीत कर दी है। जबकि अपीलाण्ट ने सामलाती भूमि के अलावा भी नेमाराम पुत्र श्री चमनाजी से खसरा नंबर 408/2 जो सादड़ी में स्थित है उससे मोल ली थी, जो दिनांक 13.12.1985 को ली थी तथा पूर्व भुखण्ड दिनांक 02.01.1987 को मानसिंह वगैरह के साथ अलग से ले रखी है। ऐसी सुरत में अपीलाण्ट का और भी भुखण्ड नेमाराम से खरीदा है जिसका शपथ पत्र भंवरी देवी धर्मपत्नी ताराचंद जाति माली ने न्यायालय में पेश किया है और उसमें हदूद भी खोले है, जिसमे पूर्व में सैनीबाई का प्लॉट है, पश्चिम में कृषि भूमि उत्तर में आम रास्त दक्षिण में शंकरलाल कन्या का प्लॉट है। ऐसी सुरत में यह नही कह सकते है कि मौके पर डुंगरसिंह का कब्जा नहीं है। सहायक कलेक्टर, देसुरी ने तहसीलदार देसुरी से मौके की स्थिति संबंधी रिपोर्ट मांगी थी, जो तहसीलदार देसुरी ने अपने स्तर पर हल्का पटवारी से जांच करवायी और उसमें स्पष्ट यह बात दर्शायी हुई है कि मौके पर डुंगरसिंह पुत्र जगनाथसिंह जाति राजपुरोहित का संयुक्त रूप से उपरोक्त पांचो व्यक्तियों ने 1/40 हिस्सा खरीदा है और प्रत्येक के 1424 वर्गफीट हिस्से में आती है। पटवारी हल्का ने 6 प्लॉट बताये है जो 30 बाई 43 फीट के है और उन्होनें यह भी लिखा है कि एक प्लॉट सामलाती हिस्से में पांचो व्यक्तियों के रखा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि उम्मेदसिंह के आस पडौस अन्य व्यक्ति है तथा उम्मेदसिंह का मकान विवादित भूमि का हिस्सा न होकर किसी अन्य भूमि का हिस्सा है। फिर भी रिपोर्ट के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। इस तमाम पत्रावली में मानसिंह द्वारा कार्यवाही की गई है जबकि मानसिंह का उक्त प्रकरण से कोई वास्ता नही है। फिर भी उसकी सुनवाई करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो आदेश खारिज करने योग्य है।

अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब कोरोना काल तारीख 05.07.2021 को खत्म होते हुए सभी राजकीय कार्यालय खुले तब अपीलाण्ट ने अपने पट्टे व मिसल की जानकारी चाही, तब संबंधित लिपिक ने कहा कि आपके पक्ष में पट्टा देने की कार्यवाही खारिज कर दी है और रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में पट्टा दिया गया है, जिस पर तुरन्त प्रभाव से नकल

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

आवेदन पेश कर नकल हासिल की है, जिससे जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अत: अधिनस्थ नगर पालिका सादड़ी द्वारा अपने नगर पालिका के आदेश क्रमांक 524/2012–13 पट्टा क्रमांक 1417 के जरिये पट्टा दिया है उसे निरस्त फरमावे तथा इस संबंध मे तमाम कार्यवाही दूषित होने से खारिज फरमाते हुए अपीलाण्ट के पक्ष में विधिवत् रूप से पट्टा जारी करने का आदेश फरमावें।

2. अपील Subject to limitaion दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

3. वकील रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 2.1.87 को पंजीबद्ध दस्तावेज के द्वारा कथित रूप से अपीलार्थी ने मानसिंह पुत्र गजराज सिंह भदोरिया के साथ संयुक्त रूप से भूमि क्रय की है। दिनांक 24.07.95 को अपीलार्थी ने अपना हिस्सा पूर्ण रूप से उम्मेदसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मादड़ी तहसील देसूरी को विक्रय कर दिया। उसके पश्चात् उक्त सम्पूर्ण भूमि में अपीलार्थी का कोई हिस्सा नहीं रहा है। उक्त वर्णित भूमि पटवार सर्कल चक संख्या 1 की खसरा संख्या 408/2 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा किस्म चाही भूमि (नवीन खसरा संख्या 3195 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3196 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा संख्या 3198 रकबा 0.45 हैक्टयर, खसरा संख्या 3199 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3200 रकबा 0.53 हैक्टयर, खसरा संख्या 2030 रकबा 0.72 हैक्टेयर कुल रकबा 2.54 हैक्टेयर) की भूमि थी।

अपीलार्थी ने लिखित विक्रय में निम्नानुसार अंकित किया है, "बेचाण शुदा आराजी के गत खसरा नंबर 408/2 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा, जिसमें नेमा पुत्र चिमना माली से 1/4 हिस्सा रताराम पुत्र नेमाजी माली वगैरह ने जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 13.12.85 को खरीदा था, जिसमें रताराम का 1/40वां हिस्सा होने से उक्त 1/40वां हिस्से मैंने व अन्य खरीददारान का दिनांक 2.1.87, जो जरिये पंजीकृत दस्तावेज खरीद किया था, जिससे उक्त आराजी में विद्यमान मेरे संपूर्ण हिस्से को आज आपको बेचाण किया है। उक्त बेचाण के बाद इस आराजी के स्वामी व अधिपति आप क्रेता है, आप इसका उपयोग उपभोग करें, इससे मुझे व मेरे वारिसान का कोई ऐतराज नहीं होगा।"

उक्त स्थिति से इस आराजी में संपूर्ण हिस्सा को विक्रय करने एवं अपीलार्थी का कोई हिस्सा शेष नही रहना स्पष्ट रहा है। अपीलार्थी ने कथित रूप से फर्जी दिनांक 7.8.94 की लिखित का एक बेचाण भंवरीदेवी पत्नी ताराचंद माली से डुंगरसिंह को मात्र रैवेन्यू स्टाम्प लगे सादे फेपर्स पर बताया गया है। यद्यपि उसमे कोई खसरा नंबर आदि अंकित नहीं है। इस दस्तावेज के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 76/2007 पुलिस थाना सादड़ी दर्ज करवाई। धारा 420,423,181,182,467,468,471 भादस के तहत प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. संख्या 29/09 को अस्वीकार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी द्वारा दिनांक 20.02.2009 को प्रसंज्ञान लिया गया, जो आपराधिक मूल प्रकरण संख्या 84/09 के रूप में विचाराधीन है। इस प्रकरण के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिका माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय, बाली द्वारा खारिज कर प्रसंज्ञान आदेश को पुष्ट किया गया है। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड़, महाराष्ट्र द्वारा इस कथित दस्तावेज पर लगे रैवेन्यू स्टाम्प को इस तिथि को प्रिण्ट ही नहीं किया जाना प्रमाणित किया है। दिनांक 21.10.20 को पत्र क्रमांक 224 द्वारा नगरपालिका, सादड़ी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी, बाली को सूचित किया "श्री डुंगरसिंह द्वारा पुनः क्रय किए गए कि संपूर्ण जमीन उम्मेदसिंह को बेची गई, जिससे पत्रावली मे श्री डुंगरसिंह का कोई हक नही बनता है।

नगरपालिका द्वारा दिनांक 20.03.18 को पत्रावली में की गई नोटशीट में निम्नानुसार वर्णित है"– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के पत्रांक/516 दिनांक 20.06.04 के अनुसार पत्रावली में मौका जांच चाहा जाने पर पटवारी, सादड़ी द्वारा दिनांक 8.7.04 को मौका जांच रिपोर्ट पर मौके पर (डूंगर सिंह पुत्र जगन्नाथ अपीलार्थी) का कब्जा नहीं होने, मौके पर सूरजभासिंह का कब्जा बताया गया है। मार्गदर्शन मांगा जाने पर श्रीमान वरिष्ट संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 3137 दिनांक 21.7.17 की पालना में निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर के विभागीय आदेश क्रमांक 1516–30 दिनांक 25.04.17 के

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

बिन्दू संख्या 1 व 2 में कृषि भूमि रूपांतरण से संबंधित विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण हेतु दिशानिर्देश एवं शिथिलता दी जाकर नवीन स्तर पर विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए है। दिनांक 03.08.18 की नोटशीट में अपीलार्थी का कब्जा नही होकर सूरजभानसिंह का कब्जा होना प्रमाणित मानते हुए अपीलार्थी को सुनवाई के अवसर हेतु नोटिस जारी किया गया है, साथ ही भंवरीदेवी को भी सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। दिनांक 17.09.19 को अपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर 15 दिन का समय चाहा गया। दिनांक 11.10.19 की सुनवाई को बावजुद नोटिस अपीलार्थी उपस्थित नहीं रहा, दिनांक 14.10.19 को जवाब प्रस्तुत किया। दिनांक 24.02.20 को सूरजभानसिंह का कब्जा व उम्मेदसिंह का कब्जा अलग अलग भूखण्ड पर होने, डूंगरसिंह का कब्जा नही होने, डूंगरसिंह का कोई टाईटल नहीं होने के आधार पर डूंगरसिंह की पत्रावली निरस्त योग्य होना निर्धारित करते हुए उपखण्ड न्यायालय, देसूरी के मुकदमा संख्या 100/13 के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गये है। उपखण्ड अधिकारी, देसूरी द्वारा दिनांक 18.08.2020 को लंबित प्रकरण को निर्णित करते हुए आबादी भूमि होने से क्षेत्राधिकारिता के अभाव में वाद खारिज किया गया, तत्पश्चात् पट्टा जारी किया गया है। समस्त तिथिया आदि छिपाते हुए समस्त प्रक्रिया को छिपाते हुए न्यायालय को अंधेरे में रखते हुए अपील पत्र प्रस्तुत किया है।

वकील रेस्पोडेण्ट्स ने जवाब के साथ प्राथमिक आपत्तिया पेश कर निवेदन किया कि अपील प्रकरण धारा 90ए उपधारा 9 राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 2 राजस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 के तहत प्रस्तुत की गई है एवं इसमें नगरपालिका द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 1417 एवं पट्टा के आदेश को क्रमांक 524/2012–13 बताते हुए निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। धारा 90ए(9) भू राजस्व अधिनियम के तहत कृषि भूमि को राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज किए जाने के आदेश के संबंधित प्रावधान मात्र है, जबकि इस अपील प्रकरण में ऐसा कोई आदेश, जो कृषि भूमि में राजस्थान सरकार के खाते में भूमि का दर्ज करने के संबंध में हो, के कोई आदेश को विवादित नहीं किया है, जिससे यह अपील प्रकरण पोषणीय नहीं है। यह अपील प्रकरण धारा 90ए उपधारा 9 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत है, जबकि राजस्व भूमि राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश काफी अवधि पूर्व दिनांक 22.06.06 को पारित किए जा चुके है तथा उक्त आदेश 90बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित किए गए है, जिससे धारा 90ए उपधारा 9 भू राजस्व अधनियम के तहत इस अनुरूप भी कोई अपील प्रकरण पोषणीय नहीं है एवं इसी स्तर पर खारिज योग्य है। इस प्रकरण में नगरपालिका सादड़ी के आदेश, जिसके तहत पट्टा जारी किया गया है, निरस्त करने का अनुतोष चाहा है पट्टा जारी करने की कार्यवाही राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान के तहत ही निर्धारित है, अन्य कोई विधि नहीं है। राजस्थान नगरपालिका अधनियम 2009 की धारा 73 के तहत संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध के प्रावधान है, जिसमें नगरपालिका को लीज, विक्रय, नियमन, आवंटन या अन्यथा किसी भी प्रकार के अंतरण के अधिकार नगरपालिका तथा राजकीय भूमि के संबंध में अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा उक्त समस्त कार्यवाही विधि के प्रावधानों, नियमों के तहत भी वर्णित प्रावधान वर्णित है।

इस प्रावधान के स्पष्टीकरण "सी" में ऐसी सभी संपत्तियों को सम्मिलित किया गया है, जो राज्य सरकार की ओर से नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी जाती है। धारा 73 निम्नानुसार है :– " 73 संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध (1) प्रत्येक नगरपालिका, विहित, निर्बन्धनो और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अपनी किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जिसमें नगरपालिका भूमि या कोई सरकारी भूमि भी सम्मिलित है, पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने या अन्यथा अंतरित करने और जंहां तक इस अधिनियम या पद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो और प्रयोजनों से असंगत नहीं हो, ऐसी समस्त संविदाएं, जिन्हें उक्त उपबंधो और प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, करने या उनका पालन करने के लिए सक्षम होगीः परन्तु–

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

i. ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय, नियमन, आवंटन या अन्तरण तथा संविदा किसी नगरपालिका पर तब तक बाध्यकारी नही होगी, जब तक कि वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुरूप न हो।

ii. किसी भी सरकारी भूमि के बारे में कोई भी पट्टा, विक्रय, नियमन, आबंटन या अन्तरण या उसके बारे में कोई अन्य संविदा तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि उसकी पुष्टि विहित प्राधिकारी द्वारा, विहित रीति से और विहित शर्तों पर न कर दी जाये।

स्पष्टीकरण– इस धार के प्रयोजनों के लिए–

1. जो धारा 68 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन नगरपालिका में निहित हो गयी हो, या
2. जो राजस्थान भू राजस्व अधनियम 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 3 में यथा– परिभाषित नजूल भूमि है, या
3. जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी जाये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पट्टा देने की समस्त कार्यवाही नगरपालिका द्वारा नगरपालिका अधनियम के प्रावधानों के तहत की गई है, जिसको धारा 90ए लैण्ड रैवन्यू एक्ट के प्रावधानों के तहत विवादित नहीं किया जा सकता है।

नगरपालिका द्वारा पट्टा दिए जाने की कार्यवाही एवं दिए गए पट्टे को धारा 73(2) के प्रावधानों के तहत ही विवादित किया जा सकता है, अपितु विहित प्राधिकारी राज्य सरकार स्वयं या उसके निमित प्राधिकृत अधिकारी है एवं वे निहित प्राधिकृत अधिकारी माननीय न्यायालय नहीं है, बल्कि संभागीय आयुक्त मात्र है, जिससे यह प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता का नहीं है। माननीय राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक डी.एल.बी./15/5843 दिनांक 10.06.16 द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है– " राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उपधारा 2 सपठित धारा 337 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संभाग के संभागीय आयुक्त को उक्त धारा 73 का संपत्ति के अंतरण एवं संविदा से संबंधित प्रकरण की सुनवाई कर निस्तारित करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। " ऐसी स्थिति में भी माननीय न्यायालय को सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होना स्पष्ट है। धारा 90ए (9) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत भी क्षेत्राधिकारित संभागीय आयुक्त को ही प्रदान की हुई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सुनवाई का कोई अधिकारों की अधिसूचना अधिकृत करते हुए जारी नहीं की है। विधि में सपष्ट नाम वर्णित होने के पश्चात् माननीय न्यायालय को सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। जैसा पूर्व में उल्लेखित किया गया है धारा 90ए (9) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत धारा 90ए के क्लोज (1) से लेकर (8) तक में विहित प्रक्रियाओं के संबंध में कार्यवाही का अधिकार मात्र है, जिससे पट्टा निरस्ती का प्रकरण धारा 90ए के प्रावधानों में वर्णित नहीं है, जिससे प्रकरण को सुनवाई की कोई क्षेत्राधिकारिता माननीय न्यायालय को नहीं है। अपीलार्थी के कोई अधिकार संबंधित खसरे की भूमि में किसी भी रूप से नहीं है, न ही कोई आधिपत्य है, बल्कि अपीलार्थी द्वारा बताई गई भूमि पर उसके द्वारा विक्रय किए गए व्यक्ति द्वारा मकान निर्माण कर निवास किया जा रहा है, जिससे किसी भी रूप से व्यथित नहीं होने, बल्कि विधि की प्रक्रिया का दुरूपयोग मात्र रहे होने से बदनियतिपूर्ण अपील की कार्यवाही होने एवं व्यथित नहीं होने से विधिनुसार अपील का अधिकार नही होने से अपील खारिज किए जाने योग्य है।

स्वयं अपलार्थी द्वारा न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादड़ी डूंगरसिंह बनाम ज्ञानवती मुकदमा नंबर 15/13 में दिनांक 1.2.19 को दिए गये बयान में निम्नानुसार सशपथ बयान देकर अभिस्वीकृति की है, "उम्मेदसिंह का प्लॉट अंतिम है, जो भंवरीदेवी से खरीदा हुआ प्लॉट है। अज खुद कहा कि स्टाम्प पर लिखापढ़ी करने के बाद भंवरीदेवी ने रैवेन्यू टिकट वाला लिखत वापस ले लिया थां इस मकान पर मानसिंह का कब्जा है व उसका परिवार रह रहा है, जो सन् 1995 के आस पास बन गया। भवंरीदेवी से मैनें 23 बाई 45 वर्गफीट का प्लॉट खरीदा था,

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

जिसकी तारीख व सन् मुझे याद नहीं है।" उक्त स्थितियों से उम्मेदसिंह वाला प्लॉट एवं भंवरीदेवी वाला प्लॉट एक ही होने, कथित भंवरीदेवी द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित लिखत के मूल का अस्तित्व नही होने, मानसिंह का कब्जा होने व परिवार सहित 1995 के आस पास से निर्माण होकर निवास होना स्पष्ट है तथा अपील पत्र में ही उम्मेदसिंह को उसके द्वारा विक्रय किया जाना स्वीकृत है। इस स्थितियों में भी न्यायालय साक्ष्य से कथित अपीलार्थी को कोई हक अधिकार भूमि में नही रहना स्पष्ट है, जिससे उसको अपील प्रस्तुति का कोई अधिकार नहीं होना स्पष्ट है।

अपील पत्र के पद संख्या एक, दो मे वर्णित स्थिति के संबंध में कथित अपीलाधीन आज्ञा की कोई तिथि ही वर्णित नहीं की है कौनसे कानून एवं वाक्यातों के विरूद्ध है, यह वर्णित ही नहीं है। किसी भी रूप से समझे जाने योग्य कोई कथन नहीं है, अपितु पट्टा किसी कानून व वाक्यात के विपरित नहीं है, न ही किसी साक्ष्य के प्रतिकूल है। पद संख्या तीन में वर्णित कथन गलत है जैसा प्राथमिक आधार में लिखा गया है, पूर्ण रूप से नगरपालिका द्वारा सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया है, अपीलार्थी द्वारा समय प्राप्त कर लिखित में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। व्यक्तिशः सुनवाई हेतु ही सूचना पत्र जारी किए गऐ थे, फिर भी आगामी पेशी 11.10.19 को उपस्थित नहीं हुआ, दिनांक 14.10.19 को जवाब प्रस्तुत किया, जिससे पूर्ण सुनवाई का अवसर मिलना स्पष्ट है। प्राकृति न्याय के सिद्धांत का मात्र बदनियति से सहारा लिया जा रहा है। पद संख्या चार में वर्णित तथ्य सही नहीं है। रकबा 416 बीघा 7 बिस्वा गलत अंकित है। इस भूमि को विक्रय दिनांक 24.7.95 को कर दिया गया है। क्रेता उम्मेदसिंह राजपुरोहित का आधिपत्य ही नहीं निर्माण एवं रहवास भी है। उक्त स्थिति रेकर्ड से एवं अपीलार्थी की स्वीकृति होना, उसके द्वारा न्यायालय में दिए गए बयान से पूर्णतः स्पष्ट है। पद संख्या पांच में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 4.4.2000 को 90 बी के तहत पट्टा हासिल करने की प्रक्रिया अपनाने के कथन किए है। यद्यपि यह फर्जी एवं षड्यंत्रपूर्ण कार्यवही थी, परन्तु इसी से स्पष्ट है कि धारा 90 बी (वर्तमान 90ए) के तहत आदेश सन् 2000 से भी पहले प्रदान किए जा चुके थे अर्थात् आज से 21 वर्ष पूर्व प्रदान किए जा चुके है। उक्त आदेश का कहीं विवादित नहीं किया गया है। धारा 90 बी (7) के तहत उक्त आदेश को विवादित करने का प्रावधान था। वर्तमान में 90ए (9) के तहत उक्त प्रावधान है, पर इससे यह भी स्पष्ट है कि धारा 90बी के तहत पारित आदेश से अपीलार्थी स्वयं को व्यथित नहीं समझ रहा है अर्थात् भूमि के राजकीय भूमि के रूप में दर्ज करने में उसे कोई आपत्ति नहीं रही है, जिससे यह अपील प्रकरण अन्यथा भी पोषणीय नहीं है। पद संख्या छः तथा 7 में वर्णित कथन औचित्य एवं अधिकारहीन है। मानसिंह सूरजभानसिंह का सगा भाई होने व ज्ञानवती का पति होने कथन सही है, परन्तु सांठ गांठ करके कोई पट्टा जारी करवाने के कथन गलत है। जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कोई एकतरफा निर्णय करवाया गया है, तो उससे कोई आधार अधिकार वैध नहीं होते। यद्यपि उक्त कार्यवाही पूर्णतः क्षेत्राधिकारविहीन थी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया है। पद संख्या आठ में वर्णित कथन गलत है। नगरपालिका द्वारा पूर्ण जांच के पश्चात समस्त कार्यवाही की है। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 12.4.17 को अधिसूचना क्रमांक 08 जारी कर 90ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी ने राज. काश्तकारी अधनियम की धारा 53 की उपधारा 2 एवं उनके अधीन बने नियमों के तहत भूमि विभाजन के लिए प्रदत्त शक्तियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु अधिकृत करने की अधिसूचना भी जारी की थी एवं समस्त तकनीकी औपचारिकताओं को समाप्त करते हुए पट्टा जारी करने के लिए सक्षम किया है। भूमि की स्थिति आधिपत्य के हिसाब से पट्टा जारी करने के संबंध में नगरपालिका को अधिकार रहे है। मात्र बदनियति से दावे आदि प्रस्तुत कर देने से कोई प्रकरण रोके जाने का कारण नहीं बनता है, जबकि इस पद में वर्णित वाद संख्या 28/02 कथित फौजदारी प्रकरण संख्या 4/20 किसी भी रूप से संदर्भित एवं प्रासंगिम नहीं है, न ही इस प्रकरण में या अन्य न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रदान किया गया है। पद संख्या नौ में वर्णित कथन गलत है। अपीलाण्ट किसी रूप से खरीददार नहीं है, न ही उसका कहीं कब्जा है, न ही उसका बंटवाड़े में कोई सरोकार है, न ही किसी नाप पर काबिज है, जो पुरी पत्रावली से स्पष्ट है। अपना आधिपत्य बताने के लिए रंजमात्र भी साक्ष्य आज भी उपलब्ध नहीं है। इस पद में स्वयं द्वारा भूमि उम्मेदसिंह का विक्रित कर देने का आधार लेने के

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

कथनों को इस आधार पर विवादित किया है कि उसने भंवरीदेवी से अलग भूमि क्रय की है, जबकि न्यायालय साक्ष्य से उम्मेदसिंह एवं भंवरीदेवी वाला प्लॉट एक ही होने की स्थिति स्वयं द्वारा प्रकट की गई है। राजस्व अधिकारियों, नगरपालिका द्वारा किसी भी प्राधिकारी की रिपोर्ट से अपीलार्थी का कहीं आधिपत्य नहीं है, न ही अपीलार्थी ने किसी भी रूप से आधिपत्य के बताने की स्थिति में न ही आज तक बताया गया है। औचित्यहीन आधार वर्णित किए है।

अपील समयावधि पारित है। अपीलाधीन आदेश की कोई तिथि पूरी अपील में वर्णित नहीं है, जिससे अपील अन्यथा भी पोषणीय नहीं है, न ही कोई समायावधि को माने जाने या क्षमा किए जाने का प्रश्न है। अपील को अंदर म्याद बता दिया है, जबकि धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पृथक से प्रस्तुत किया है। बदनियति के तहत एवं विरोधाभाश, असद्भाविक आचरण है। चाहे अनुरूप किसी भी रूप से कोई नगरपालिका का आदेश तिथि के अभाव में समझे जाने योग्य नहीं है अन्यथा भी पट्टा क्रमांक 1417 को रद्द किए जाने की न तो क्षेत्राधिकारिता है, न ही अपीलार्थी को कोई अधिकार है, न ही अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है, न ही किसी भी रूप से पट्टा खारिज किए जाने योग्य है।

4. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

5. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि कस्बा सादड़ी के गत खसरा नंबर 408/2 रकबा 416 बीघा 7 बिस्वा, किस्म चाही भूमि में से 1/40 हिस्सा रताराम पुत्र श्री नेमाजी, जाति माली, निवासी सादड़ी ने मानसिंह पुत्र श्री गजराजसिंह, भदौरिया व शैतानसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह भाटी व मंगल तथा रमन पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति जैन, तथा डुंगरसिंह पुत्र श्री जगनाथसिंह, जाति राजपुरोहित निवासी मादा ने बहिस्सा बराबर खरीद करके तारीख 02.01.1987 को कब्जा हासिल किया। जमाबंदी में बेचाण दिनांक 02.01.1987 से साबित है कि अपीलाण्ट डुंगरसिंह ने उक्त भूमि को पहले राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी के तहत पट्टा हासिल करने की प्रक्रिया की थी। नगर पालिका सादड़ी में आवेदन किया व तारीख 04.04.2000 को रूपयें 3527/– रूपये नगर पालिका कोष में रसीद संख्या 8622 के जरिये जमा करवाये, जिस पर पत्रावली संख्या 4/2000–2001 कायम की गई। उक्त पत्रावली में मामला लम्बित था, लेकिन इस कारण विचाराधीन रहा कि उक्त भूमि खसरा नंबर 408/2 की अन्य सह खातेदारी के बीच व अपीलाण्ट तथा अन्य खातेदार की सामलाती भूमि थी, इसलिये विधिवत् बंटवाड़ा नही हो पाया, इस कारण निस्तारण नही हो पाया था। इसलिये सहायक कलेक्टर देसुरी ने अपने निर्णय से सभी पत्रावलीयों में यह आदेश पारित किया कि विधिवत् सक्षम न्यायालय से बंटवाड़ा करके ही निस्तारण किया जा सकेगा। ज्ञानवन्ती मानसिंह की पत्नी है व मानसिंह उसका पति है। उसने नगर पालिका से साठ गांठ करके पट्टा क्रमांक 1417 जारी करवाया था, जिसकी अपील जिला कलेक्टर महोदय के यहां मुझ अपीलाण्ट डुंगरसिंह के यहां की थी, जो राजस्व अपील संख्या 13/2014 निर्णय तारीख 28.01.2016 है जो जिला कलेक्टर ने निर्णित करते हुए यह आदेश किया था कि उपखण्ड अधिकारी देसूरी पक्षकारान के खातेदारी एवं स्वामित्व दस्तावेज की जांच करने एवं विवादित भूमि का उनमें आपसी विभाजन करवाने के पश्चात् ही नये सिरे से भूखण्डों से सपरिवर्तन बाबत् कार्यवाही करे तथा संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय की अनदेखी कर परिवादी भूमि को 90 बी में दर्ज कर जैर अपील आदेश पारित कर दिया है, जिसको यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है, इस तरह ज्ञानवंती का पट्टा संख्या 106 निरस्त किया था। संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर ने भी राजस्व अपील संख्या 91/2005 जो डुंगरसिंह ने अपील की थी, जिसमें भी ज्ञानवंती का पट्टा निरस्त किया व इसके साथ अपील संख्या 101/2006, अपील संख्या 100/2006 को भी एक साथ निर्णित किया और उसमें भी यह स्पष्ट निर्देश दिये कि पक्षकार की खातेदारी एवं स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों की जांच करने एवं विवादित भूमि का आपसी विभाजन करवाने के पश्चात् ही नये सिरे से भूखण्डो के सपरिवर्तन बाबत विधिनुरूप कार्य करे, इतना सबकुछ आदेश होते हुए भी अपीलीय न्यायालय के आदेश की नगर पालिका ने अवहेलना की है तथा अधिनस्थ नगर पालिका ने यह कहते हुए कि सहायक कलेक्टर देसुरी के यहां भूमि बंटवाड़े का वाद संख्या 17/2011 व 100/2013 तारीख 18.08.2020 को खारिज हो गया है। साथ में यह कह दिया कि अन्य कोई

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

मामला न्यायालय में लंबित नही है, इसलिये पट्टा देना उचित समझता है। जबकि प्रथमतः सूरजभानसिंह के विरूद्ध अपीलाण्ट डुंगरसिंह ने उसके दस्तावेज को निरस्त करवाने के लिए एव स्थायी निषेधाज्ञा का दावा कर रखा है जो दीवानी मूल वाद संख्या 28/2002 है, जो सिविल न्यायालय देसुरी में आज भी लम्बित है व साथ ही एस.डी.एम. देसुरी के यहां फौजदारी प्रकरण लंबित है जो फौजदारी प्रकरण संख्या 04/2000 सरकार बनाम डुंगरसिंह व अन्य है जो भी लबित है, फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज किये जाये योग्य है। अपीलाण्ट खसरा नंबर 408/2 जो ग्राम सादड़ी में स्थित है उसमें अपीलाण्ट भी बतौर खरीददार है व मौके पर कब्जा है, विधिवत् बंटवाड़ा होना बाकी है, लेकिन मौखिक तौर पर अनुमानित नाप पर काबिज है। लेकिन अपीलाण्ट के पक्ष में विक्रय विलेख जारी नही करने का एक ही आधार लिया है कि मौके पर उनका कब्जा नही है और उक्त भूमि उम्मेदसिंह को विक्रीत कर दी है। जबकि अपीलाण्ट ने सामलाती भूमि के अलावा भी नेमाराम पुत्र श्री चिमनाजी से खसरा नंबर 408/2 जो सादड़ी में स्थित है उससे मोल ली थी, जो दिनांक 13.12.1985 को ली थी तथा पूर्व भुखण्ड दिनांक 02.01.1987 को मानसिंह वगैरह के साथ अलग से ले रखी है। ऐसी सुरत में अपीलाण्ट का और भी भुखण्ड नेमाराम से खरीदा है जिसका शपथ पत्र भंवरी देवी धर्मपत्नी ताराचंद जाति माली ने न्यायालय में पेश किया है और उसमें हदूद भी खोले है, जिसमे पूर्व में सैनीबाई का प्लॉट है, पश्चिम में कृषिभूमि उत्तर में आम रास्ता दक्षिण में शंकरलाल कन्या का प्लॉट है। ऐसी सुरत में यह नही कह सकते है कि मौके पर डुंगरसिंह का कब्जा नहीं है। सहायक कलेक्टर देसुरी ने तहसीलदार देसुरी से मौके की स्थिति संबंधी रिपोर्ट मांगी थी, जो तहसीलदार देसुरी ने अपने स्तर पर हल्का पटवारी सादड़ी से जांच करवायी और उसमें स्पष्ट यह बात दर्शायी हुई है कि मौके पर डुंगरसिंह पुत्र जगनाथसिंह जाति राजपुरोहित का संयुक्त रूप से उपरोक्त पांचो व्यक्तियों ने 1/40 हिस्सा खरीदा है और प्रत्येक के 1424 वर्गफीट हिस्से में आती है। पटवारी हल्का ने 6 प्लॉट बताये है जो 30 बाई 43 फीट के है और उन्होनें यह भी लिखा है कि एक प्लॉट सामलाती हिस्से में पांचो व्यक्तियों के रखा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि उम्मेदसिंह के आस पडौस अन्य व्यक्ति है तथा उम्मेदसिंह का मकान विवादित भूमि का हिस्सा न होकर किसी अन्य भूमि का हिस्सा है। फिर भी रिपोर्ट के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। इस तमाम पत्रावली में मानसिंह द्वारा कार्यवाही की गई है जबकि मानसिंह का उक्त प्रकरण से कोई वास्ता नही है। फिर भी उसकी सुनवाई करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो आदेश खारिज करने योग्य है। अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब कोरोना काल तारीख 05.07.2021 को खत्म होने हुए सभी राजकीय कार्यालय खुले तब अपीलाण्ट ने अपने पट्टे व मिसल की जानकारी चाही, तब संबंधित लिपिक ने कहा कि आपके पक्ष में पट्टा देने की कार्यवाही खारिज कर दी है और रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 के पक्ष में पट्टा दिया गया है, जिस पर तुरन्त प्रभाव से नकल आवेदन पेश कर नकल हासिल की है, जिससे जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अधिनस्थ नगर पालिका सादड़ी द्वारा अपने नगर पालिका के आदेश क्रमांक 524/2012–13 पट्टा क्रमांक 1417 के जरिये पट्टा दिया है उसे निरस्त फरमावे।

6. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक ने निवेदन किया कि उक्त अपील किसके विरूद्ध या किस ऑडर के विरूद्ध की गई है इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है तथा दिनांक 02.01.87 को पंजीबद्ध दस्तावेज के द्वारा कथित रूप से अपीलार्थी ने मानसिंह पुत्र गजराज सिंह भदोरिया के साथ संयुक्त रूप से भूमि क्रय की है। दिनांक 24.07.95 को अपीलार्थी ने अपना हिस्सा पूर्ण रूप से उम्मेदसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मादड़ी तहसील देसूरी को विक्रय कर दिया। उसके पश्चात् उक्त सम्पूर्ण भूमि में अपीलार्थी का कोई हिस्सा नहीं रहा है। उक्त वर्णित भूमि पटवार सर्कल चक संख्या 1 की खसरा संख्या 408/2 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा किस्म चाही भूमि (नवीन खसरा संख्या 3195 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3196 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा संख्या 3198 रकबा 0.45 हैक्टयर, खसरा संख्या 3199 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3200 रकबा 0.53 हैक्टयर, खसरा संख्या 2030 रकबा 0.72 हैक्टेयर कुल

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

रकबा 2.54 हैक्टेयर) की भूमि थी। अपीलार्थी ने लिखित विक्रय में निम्नानुसार अंकित किया है, कि "बेचाण शुदा आराजी के गत खसरा नंबर 408/2 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा, जिसमें नेमा पुत्र चिमना माली से 1/4 हिस्सा रताराम पुत्र नेमाजी माली वगैरह ने जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 13.12.85 को खरीदा था, जिसमें रताराम का 1/40वां हिस्सा होने से उक्त 1/40वां हिस्से मैंने व अन्य खरीद्दारान का दिनांक 02.01.87, जो जरिये पंजीकृत दस्तावेज खरीद किया था, जिससे उक्त आराजी में विद्यमान मेरे संपूर्ण हिस्से को आज आपको बेचाण किया है। उक्त बेचाण के बाद इस आराजी के स्वामी व अधिपति आप क्रेता है, आप इसका उपयोग उपभोग करें, इससे मुझे व मेरे वारिसान का कोई ऐतराज नहीं होगा।" उक्त स्थिति से इस आराजी में संपूर्ण हिस्सा को विक्रय करने एवं अपीलार्थी का कोई हिस्सा शेष नही रहना स्पष्ट रहा है। अपीलार्थी ने कथित रूप से दिनांक 7.8.94 की तिथि का एक बेचाण भंवरीदेवी पत्नी ताराचंद माली से डुंगरसिंह को मात्र रैवेन्यू स्टाम्प लगे सादे पैपर पर बताया गया है। यद्यपि उसमे कोई खसरा नंबर आदि अंकित नहीं है। इस दस्तावेज के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 76/2007 पुलिस थाना सादड़ी दर्ज करवाई। धारा 420,423,181,182,467,468,471 भादस के तहत प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. संख्या 29/09 को अस्वीकार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी द्वारा दिनांक 20.02.2009 को प्रसंज्ञान लिया गया, जो आपराधिक मूल प्रकरण संख्या 84/09 के रूप में विचाराधीन है। इस प्रकरण के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिका माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय, बाली द्वारा खारिज कर प्रसंज्ञान आदेश को पुष्ट किया गया है। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड, महाराश्ट्र द्वारा इस कथित दस्तावेज पर लगे रैवेन्यू स्टाम्प को इस तिथि को प्रिण्ट ही नहीं किया जाना प्रमाणित किया गया है। दिनांक 21.10.20 को पत्र क्रमांक 224 द्वारा नगरपालिका, सादड़ी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी, बाली को सूचित किया कि "श्री डुंगरसिंह द्वारा पुनः क्रय किए गए कि संपूर्ण जमीन उम्मेदसिंह को बेची गई, जिससे पत्रावली मे श्री डुंगरसिंह का कोई हक नही बनता है।" कि नगरपालिका द्वारा दिनांक 20.03.18 को पत्रावली में की गई नोटशीट में निम्नानुसार वर्णित है" कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के पत्रांक/516 दिनांक 20.06.04 के अनुसार पत्रावली में मौका जांच चाहा जाने पर पटवारी, सादड़ी द्वारा दिनांक 08.07.04 को मौका जांच रिपोर्ट पर मौके पर (डूंगर सिंह पुत्र जगन्नाथ अपीलार्थी) का कब्जा नहीं होने, मौके पर सूरजभानसिंह का कब्जा बताया गया है। मार्गदर्शन मांगा जाने पर श्रीमान वरिष्ट संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 3137 दिनांक 21.7.17 की पालना में निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर के विभागीय आदेश क्रमांक 1516–30 दिनांक 25.04.17 के बिन्दु संख्या 1 व 2 में कृषि भूमि रूपांतरण से संबंधित विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण हेतु दिशानिर्देश एवं शिथिलता दी जाकर नवीन स्तर पर विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए है। दिनांक 03.08.18 की नोटशीट में अपीलार्थी का कब्जा नही होकर सूरजभानसिंह का कब्जा होना प्रमाणित मानते हुए अपीलार्थी को सुनवाई के अवसर हेतु नोटिस जारी किया गया है, साथ ही भंवरीदेवी को भी सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। दिनांक 17.09.19 को अपलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर 15 दिन का समय चाहा गया। दिनांक 11.10.19 की सुनवाई को बावजुद नोटिस अपीलार्थी उपस्थित नहीं रहा, दिनांक 14.10.19 को जवाब प्रस्तुत किया। दिनांक 24.02.20 को सूरजभानसिंह का कब्जा व उम्मेदसिंह का कब्जा अलग अलग भूखण्ड पर होने, डूंगरसिंह का कब्जा नही होने, डूंगरसिंह का कोई टाईटल नहीं होने के आधार पर डूंगरसिंह की पत्रावली निरस्त योग्य होना निर्धारित करते हुए उपखण्ड न्यायालय, देसूरी के मुकदमा संख्या 100/13 के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गये है। उपखण्ड अधिकारी, देसूरी द्वारा दिनांक 18.08.2020 को लंबित प्रकरण को निर्णित करते हुए आबादी भूमि होने से क्षेत्राधिकारिता के अभाव में वाद खारिज किया गया, तत्पश्चात् पट्टा जारी किया गया है।

द्वितीय दलील पेश कर निवेदन किया कि अपील प्रकरण धारा 90ए उपधारा 9 राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 2 राजस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 के तहत प्रस्तुत की गई है एवं इसमें नगरपालिका द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 1417 एवं पट्टा के आदेश को क्रमांक 524/2012–13 बताते हुए निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। धारा 90ए(9) भू राजस्व

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

अधिनियम के तहत कृषि भूमि को राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज किए जाने के आदेश के संबधित प्रावधान मात्र है, जबकि इस अपील प्रकरण में ऐसा कोई आदेश, जो कृषि भूमि में राजस्थान सरकार के खाते में भूमि का दर्ज करने के संबंध में हो, के कोई आदेश को विवादित नहीं किया है, जिससे यह अपील प्रकरण पोषणीय नही है। यह अपील प्रकरण धारा 90ए उपधारा 9 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत है, जबकि राजस्व भूमि राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश काफी अवधि पूर्व दिनांक 22.06.06 को पारित किए जा चूकि है तथा उक्त आदेश 90बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित किए गए है, जिससे धारा 90ए उपधारा 9 भू राजस्व अधनियम के तहत इस अनुरूप भी कोई अपील प्रकरण पोषणीय नहीं है एवं इसी स्तर पर खारिज योग्य है। इस प्रकरण में नगरपालिका सादड़ी के आदेश, जिसके तहत पट्टा जारी किया गया है, निरस्त करने का अनुतोष चाहा है पट्टा जारी करने की कार्यवाही राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान के तहत ही निर्धारित है, अन्य कोई विधि नहीं है। राजस्थान नगरपालिका अधनियम 2009 की धारा 73 के तहत संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध के प्रावधान है, जिसमें नगरपालिका को लीज, विक्रय, नियमन, आवंटन या अन्यथा किसी भी प्रकार के अंतरण के अधिकार नगरपालिका तथा राजकीय भूमि के संबंध में अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा उक्त समस्त कार्यवाही विधि के प्रावधानों, नियमों के तहत भी वर्णित प्रावधान वर्णित है। इस प्रावधान के स्पष्टीकरण "सी" में ऐसी सभी संपत्तियों को सम्मिलित किया गया है, जो राज्य सरकार की ओर से नगरपालिका के व्ययधीन रखी जाती है। धारा 73 निम्नानुसार है :– " 73 संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध (1) प्रत्येक नगरपालिका, विहित, निर्बन्धनो और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अपनी किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जिसमें नगरपालिका भूमि या कोई सरकारी भूमि भी सम्मिलित है, पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने या अन्यथा अंतरित करने और जंहा तक इस अधिनियम या पद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो और प्रयोजनों से असंगत नहीं हो, ऐसी समस्त संविदाएं, जिन्हें उक्त उपबंधो और प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, करने या उनका पालन करने के लिए सक्षम होगी: परन्तु–

i. ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय, नियमन, आवंटन या अन्तरण तथा संविदा किसी नगरपालिका पर तब तक बाध्यकारी नही होगी, जब तक कि वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुरूप न हो।

ii. किसी भी सरकारी भूमि के बारे में कोई भी पट्टा, विक्रय, नियमन, आबंटन या अन्तरण या उसके बारे में कोई अन्य संविदा तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि उसकी पुष्टि विहित प्राधिकारी द्वारा, विहित रीति से और विहित शर्तों पर न कर दी जाये।

स्पष्टीकरण– इस धार के प्रयोजनों के लिए–

1. जो धारा 68 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन नगरपालिका में निहित हो गयी हो, या
2. जो राजस्थान भू राजस्व अधनियम 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 3 में यथा–परिभाषित नजूल भूमि है, या
3. जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के व्ययानाधीन रखी जाये।

उपरोक्त से सपष्ट है कि पट्टा देने की समस्त कार्यवाही नगरपालिका द्वारा नगरपालिका अधनियम के प्रावधानों के तहत की गई है, जिसको धारा 90ए लैण्ड रैवन्यू एक्ट के प्रावधानों के तहत विवादित नहीं किया जा सकता है।

नगरपालिका द्वारा पट्टा दिए जाने की कार्यवाही एवं दिए गए पट्टे को धारा 73(2) के प्रावधानों के तहत ही विवादित किया जा सकता है, अपितु विहित प्राधिकारी राज्य सरकार स्वयं या उसके निमित प्राधिकृत अधिकारी है एवं वे निहित प्राधिकृत अधिकारी माननीय न्यायालय नही है, बल्कि संभागीय आयुक्त मात्र है, जिससे यह प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता का नहीं है। माननीय राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक डी. एल.बी./15/5843 दिनांक 10.06.16 द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है– " राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उपधारा 2 सपठित धारा 337 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संभाग के संभागीय आयुक्त को उक्त धारा 73 का संपत्ति

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

के अंतरण एवं संविदा से संबंधित प्रकरण की सुनवाई कर निस्तारित करने हेतु एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है। " ऐसी स्थिति में भी माननीय न्यायालय को सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होना स्पष्ट है। धारा 90ए (9) राजस्थान भू राजस्व अधनियम के तहत भी क्षेत्राधिकारित संभागीय आयुक्त को ही प्रदान की हुई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सुनवाई का कोई अधिकारों की अधिसूचना अधिकृत करते हुए जारी नहीं की है। विधि में स्पष्ट नाम वर्णित होने के पश्चात् माननीय न्यायालय को सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। जैसा पूर्व में उल्लेखित किया गया है धारा 90ए (9) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत धारा 90ए के क्लोज (1) से लेकर (8) तक में विहित प्रक्रियाओं के संबंध में कार्यवाही का अधिकार मात्र है, जिससे पट्टा निरस्ती का प्रकरण धारा 90ए के प्रावधानों में वर्णित नहीं है, जिससे प्रकरण को सुनवाई की कोई क्षेत्राधिकारिता माननीय न्यायालय को नहीं है। अपीलार्थी के कोई अधिकार संबंधित खसरे की भूमि में किसी भी रूप से नहीं है, न ही कोई आधिपत्य है, बल्कि अपीलार्थी द्वारा बताई गई भूमि पर उसके द्वारा विक्रय किए गए व्यक्ति द्वारा मकान निर्माण कर निवास किया जा रहा है, जिससे किसी भी रूप से व्यथित नहीं होने, बल्कि विधि की प्रक्रिया का दुरूपयोग मात्र रहे होने से बद्नियतिपूर्ण अपील की कार्यवाही होने एवं व्यथित नहीं होने से विधिनुसार अपील का अधिकार नही होने से अपील खारिज किए जाने योग्य है।

तृतीय दलील पेश कर निवेदन किया कि अपलार्थी द्वारा न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादड़ी डूंगरसिंह बनाम ज्ञानवती मुकदमा नंबर 15/13 में दिनांक 1.2.19 को दिए गये बयान में निम्नानुसार सशपथ बयान देकर अभिस्वीकृति की है, "उम्मेदसिंह का प्लॉट अंतिम है, जो भंवरीदेवी से खरीदा हुआ प्लॉट है। अज खुद कहा कि स्टाम्प पर लिखापढ़ी करने के बाद भंवरीदेवी ने रैवेन्यू टिकट वाला लिखत वापस ले लिया था। इस मकान पर मानसिंह का कब्जा है व उसका परिवार रह रहा है, जो सन् 1995 के आस पास बन गया। भंवरीदेवी से मैनें 23 बाई 45 वर्गफीट का प्लॉट खरीदा था, जिसकी तारीख व सन् मुझे याद नहीं है।" उक्त स्थितियों से उम्मेदसिंह वाला प्लॉट एवं भंवरीदेवी वाला प्लॉट एक ही होने, कथित भंवरीदेवी द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित लिखत के मूल का अस्तित्व नहीं होने, मानसिंह का कब्जा होने व परिवार सहित 1995 के आस पास से निर्माण होकर निवास होना स्पष्ट है तथा अपील पत्र में ही उम्मेदसिंह को उसके द्वारा विक्रय किया जाना स्वीकृत है। इस स्थितियों में भी न्यायालय साक्ष्य से कथित अपीलार्थी को कोई हक अधिकार भूमि मं नही रहना स्पष्ट है, जिससे उसको अपील प्रस्तुति का कोई अधिकार नहीं होना स्पष्ट है।

चथुर्त दलील पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट किसी रूप से खरीददार नहीं है, न ही उसका कहीं कब्जा है, न ही उसका बंटवाड़े में कोई सरोकार है, न ही किसी नाप पर काबिज है। अपना आधिपत्य बताने के लिए रंजमात्र भी साक्ष्य आज भी उपलब्ध नहीं है। राजस्व अधिकारियों, नगरपालिका द्वारा किसी भी प्राधिकारी की रिपोर्ट से अपीलार्थी का कहीं आधिपत्य नहीं है, न ही अपीलार्थी ने किसी भी रूप से आधिपत्य के बताने की स्थिति में न ही आज तक बताया गया है। औचित्यहीन आधार वर्णित किए है। अपीलाधीन आदेश की कोई तिथि पूरी अपील में वर्णित नहीं है, जिससे अपील अन्यथा भी पोषणीय नहीं है, न ही कोई समायावधि को माने जाने या क्षमा किए जाने का प्रश्न है। अपील को अंदर म्याद बता दिया है, जबकि धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पृथक से प्रस्तुत किया है। बद्नियति के तहत एवं विरोधाभाश, असदभाविक आचरण है। चाहे अनुरूप किसी भी रूप से कोई नगरपालिका का आदेश तिथि के अभाव में समझे जाने योग्य नहीं है अन्यथा भी पट्टा क्रमांक 1417 को रद्द किए जाने की न तो क्षेत्राधिकारिता है, न ही अपीलार्थी को कोई अधिकार है, न ही अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है, न ही किसी भी रूप से पट्टा खारिज किए जाने योग्य हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

7. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या दो ने निवेदन किया कि नगर पालिका, पालिका, सादड़ी द्वारा पट्टा नियमानुसार एवं विधि के अनुरूप ही जारी किया गया हैं।

8. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। कस्बा सादड़ी के पुराना खसरा नंबर 408/2 रकबा 416 बीघा 7 बिस्वा, किस्म चाही भूमि में से 1/40 हिस्सा रताराम पुत्र श्री नेमाजी, जाति माली, निवासी सादड़ी

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

ने मानसिंह पुत्र श्री गजराजसिंह, भदौरिया व शैतानसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह भाटी व मंगल तथा रमन पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति जैन तथा डुंगरसिंह पुत्र श्री जगनाथसिंह, जाति राजपुरोहित निवासी मादा ने बहिस्सा बराबर खरीद करके तारीख 02.01.1987 को कब्जा हासिल किया। अपीलाण्ट डुंगरसिंह ने उक्त भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी के तहत पट्टा जारी करने के लिये नगर पालिका सादड़ी में आवेदन किया व दिनांक 04.04.2000 को रूपयें 3527/– रूपये नगर पालिका कोष में रसीद संख्या 8622 के जरिये जमा करवाये। उक्त भूमि खसरा नंबर 408/2 की अन्य सह खातेदारी के बीच व अपीलाण्ट तथा अन्य खातेदार की सामलाती भूमि थी, इसलिये विधिवत् बंटवाड़ा नही हो पाया, इस कारण निस्तारण नही हो पाया था तथा सहायक कलेक्टर देसुरी ने आदेश पारित किया कि विधिवत् सक्षम न्यायालय से बंटवाड़ा करके ही निस्तारण किया जा सकेगा। न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 28.01.2016 में नगर, पालिका, सादड़ी के पत्रावली क्रमांक 2012–13–101 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2013 व उसकी अनुपालना में जारी पट्टा क्रमांक 106 निरस्त किया जाकर पक्षकारान के खातेदारी एवं स्वामित्व दस्तावेजों के बाद जांच विवादित भूमि पर उनमें विधिवत विभाजन करने के पश्चात् ही संपरिवर्तन की कार्यवाही करनी चाहिए थी। न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसुरी द्वारा बंटवाड़े का वाद संख्या 17/2011 व 100/2013 तारीख 18.08.2020 को खारिज किया गया। इस कारण से नगर पालिका, सादड़ी द्वारा बंटवाड़ा का वाद प्रक्रियाधीन नही होने से या अन्य कोई मामला न्यायालय में लंबित नही है, इस कारण से अपीलाधीन आदेश के तहत पट्टा जारी किया गया है लेकिन सूरजभानसिंह के विरूद्ध अपीलाण्ट डुंगरसिंह ने सुरजभान के दस्तवोज को निरस्त करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दीवानी मूल वाद संख्या 28/2002 सिविल न्यायालय देसुरी में विचाराधीन है व साथ ही उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देसुरी के यहा धारा 145 सी.आर.पी.सी. के तहत फौजदारी प्रकरण भी लंबित है। इस तरह उक्त भूमि विवादित है। फिर भी नगर पालिका सादड़ी ने इसे विवादित नही मानकर पट्टे जारी करने का आदेश दिया गया है जो गैर कानूनी है। नगर पालिका सादड़ी ने सहायक कलेक्टर देसूरी के वाद संख्या 17/2011 व 100/2013 के खारिज करने का उल्लेख करते हुये पट्टा जारी करने का आदेश दिया गया है जबकि दोनो ही प्रकरण भूमि बंटवाड़ा संबधित है लेकिन सहायक कलेक्टर देसुरी ने यह कहते हुये खारिज किया गया कि उक्त भूमि आवासीय में प्ररिवर्तित हो चुकी है इसी कारण यह दावा क्षेत्राधिकार विहीन होने से खारिज किया गया है। जबकि प्रथमतः उक्त भूमि आगे आवासीय भी है तो भी सक्षम न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा नही हो जाता है तब तक अपीलीय न्यायालय द्वारा जो आदेश पूर्व में जारी हो चुकी है उनकी पालना में ही पट्टा जारी किया जा सकता था फिर भी नगर पालिका सादड़ी ने पट्टा जारी किया है जो विधि अनुसार सही नहीं है और ऐसे पट्टा को कायम रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फिर भी पट्टा जारी किया गया है जो नगर पालिका द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त जोधपुर एवं माननीय जिला कलेक्टर,पाली के निर्णय कि भी अनदेखी की है ऐसी सुरत में बिना बंटवाड़ा किये एवं मामला विवादित हुये भी पट्टा जारी करने का आदेश दिया है जो विधि संगत नहीं है। इसलिये पत्रावली संख्या 524 वर्ष 2012–13 में आदेश व उसकी अनुपालना में जारी पट्टा क्रमांक 1417 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोडेण्ट्स ने बहस ने यह जाहिर किया कि धारा 73 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत भूमि अंतरण के प्रावधान बने हुये जिससे अपील माननीय संभागीय आयुक्त को की जानी चाहिए थी जबकि उक्त भूमि का अधिकार क्षेत्र पट्टे जारी करने से संबधित नगर पालिका को धारा 90(अ) के तहत विशेष अधिकार प्रदत कर रखे है और उससे की गई तमाम कार्यवाही को धारा 90(ए) उपधारा 9 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 2 राजस्थान विध्या संशोधन अधिनियम 2012 के तहत इस न्यायालय को क्षैत्राधिकार दे रखा है। धारा 73 में वही भूमि आती है जो राज्य सरकार द्वारा नगर पालिकाओं को नजूल भूमि रूप में आंवटित कर रखी हों। जबकि यहां तो उक्त भूमि कृषि भूमि खातेदारान की खरीद सुदा है और वो नगर पालिका से धारा 90(ए) के तहत आवासीय कराते हुये पट्टे देने के प्रावधान दे रखे है और उसकी अधिकारिता तय करने का जिला कलेक्टर को अधिकार प्रदत्त कर रखे है इसलिये उक्त तर्क रेस्पोडेण्ट्स का मान्य नहीं है और यही नही अपील म्याद मे लेने का आवेदन मय शपथ पत्र दे रखा है और कोराना की

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने म्याद छुट प्रदान कर रखी है। अतः अपील अंदर म्याद है। रहा प्रश्न डुंगर सिंह द्वारा उम्मेद सिंह के पक्ष में विक्रय करने संबधित रेस्पोडेण्ट्स का तर्क है जबकि रेस्पोडेण्ट्स स्वयं ने अपनी बहस मे जाहिर किया कि भंवरी देवी द्वारा डुंगर सिंह को जो जमीन बेची है वो उम्मेदसिंह को बेच चुका है। लेकिन डुंगर सिंह के स्वयं के नाम की बेंचाण दिनाक 02.01.87 में पांच व्यक्ति के साथ सांमलाती खरीदी हुई है इसलिये उससे हक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अपीलाण्ट डुंगरसिंह ने रेस्पोडण्ट्स सुरजभान के बेंचाण को निरस्त करने का वाद सिविल न्यायालय देसुरी में पेश कर रखा है व इसी खसरा नंबर 408/2 रकबा 416 बिघा 7 बिस्वा में से 1/40 हिस्सा संबंधित विवादित है। इसलिये उक्त प्रकरण जब तक अंतिम रूप से निष्तारित नही हो जाता तब तक नगर पालिका,सादड़ी को रेस्पोडेण्ट्स के पक्ष में पट्टा दिया जाना विधि संगत अधिकार नहीं है। रेस्पोडेण्ट्स का यह भी तर्क है कि अपीलाधीन आदेश की तिथि अंकित नही है जबकि अपीलाण्ट के अधीवक्ता पट्टा क्रमांक 1417 को निरस्त करवाने से संबंधित निवेदन किया है उस पट्टे की तारिख उल्लेखित कर रखी है इसलिये उक्त कथन भी रेस्पोडेण्ट्स भी चलने योग्य नहीं है। अतः पत्रावली संख्या 524 वर्ष 2012–13 में आदेश व उसकी अनुपालना में जारी पट्टा क्रमांक 1417 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त अपील को म्याद में शुमार कि जाती है तथा अपील अपीलाण्ट स्वीकार कि जाकर अधिनस्थ नगर पालिका, सादड़ी के पत्रावली क्रमांक 524 वर्ष 2012–13 में आदेश व उसकी अनुपालना में जारी पट्टा क्रमांक 1417 अपास्त किया जाता है अधिशाषी अधिकारी एवं प्रशासक, नगर पालिका, सादड़ी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये तथा उक्त भूमि संबधि विभिन्न न्यायालय मे लंबित मामले का निस्तारण होने के पश्चात तथा सक्षम न्यायालय से बंटवाड़ा का निस्तारण पर पट्टे जारी करने की कार्यवाही विधि अनुरूप संपादित कि जावें। इस निर्णय की प्रति अधिशाषी अधिकारी एवं प्रशासक, नगर पालिका, सादड़ी को तहरीर के साथ माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित किया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

यह आदेश आज दिनांक 02-09-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)